भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3184
दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां

3184. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितने वरिष्ठ एवं दिव्यांगजन शामिल हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने मरीजों की सुविधा के लिए उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों में स्थित निजी और सरकारी अस्पतालों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार के दौरान मरीजों/लोगों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कोई टोल-फ्री नंबर जारी किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजीवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो भारत की आबादी के निम्नतम 40% हिस्से में आने वाले 12.34 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पतालों में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। एबी-पीएमजीवाई एक पात्रता-आधारित योजना है। इस योजना का उपयोग पात्र लाभार्थियों द्वारा सेवाओं की मांग के आधार पर किया जाता है।

30 जून 2024 तक इस योजना के तहत 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये की लागत से कुल 7.37 करोड़ अस्पताल भर्तियों को अधिकृत किया गया । इसके अलावा, इस योजना के तहत 12,625 निजी अस्पतालों सहित कुल 29,281 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है।

(ख): परिवार के आकार पर कोई सीमा नहीं है और पात्र परिवारों के सभी सदस्य चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, इस योजना के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में, 60 वर्ष से अधिक आयु के 4.7 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कवर किए गए हैं।

योजना के तहत उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस में पहचाने गए पात्र परिवारों से संबंधित सभी विकलांग व्यक्ति इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार हैं। एबी-पीएमजीवाई के तहत लाभार्थियों को विकलांगता के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है और इसलिए यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग): सरकार ने समय-समय पर पैनलबद्ध अस्पतालों के लिए अनेक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि मरीजों की सुविधा के लिए पैनलबद्ध अस्पताल में कियोस्क स्थापित करना, पीएम-एम की व्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र आदि।

(घ) और (ड): राष्ट्रीय कॉल सेंटर, टोल-फ्री नंबर 14555 के माध्यम से सुलभ है जो, विभिन्न पीएमजेएवाई हितधारकों के लिए मुख्य संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसका लक्ष्य पीएमजेएवाई से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, लाभार्थियों को उनके अधिकारों और सेवाओं तक पहुंच के बारे में जानकारी प्रदान करना और उनकी शिकायतों का निवारण करना है। इस योजना को लागू करने वाले 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से कुछ के पास राष्ट्रीय कॉल सेंटर टोल-फ्री नंबर के साथ-साथ अपना स्वयं का कॉल सेंटर भी है।

*****